

118572  
पवन

तारीख रजू \_\_\_\_\_

मोहनसिंह वगैरा

बनाम \_\_\_\_\_

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
2022	<p>वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वकील वादी श्री कृपाशंकर शंकर शर्मा ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जयें सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादी दिनांक 12.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	
4/7/22	<p>उपखण्ड कोर्ट के नं०/P.O. 118572/22 आदेश दिनांक 18/7/22 को पेश हो।</p>	
22	<p>वदुलाम उपस्थित। उर्वरक के खर्च की ओर से श्री रामश्रीलाल शर्मा ए० ने वकालत नामा अध जकाद उल्लेख किया 200 मि० कि० मा गन्ना 4x19ली वास्ते शेष की लकी रिमांड 5/8/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Sook</p>	
5/8/22	<p>उपखण्ड कोर्ट के नं०/P.O. 118572/22 आदेश दिनांक 17/10/22 को पेश हो।</p>	
17/10/22	<p>उपखण्ड कोर्ट के नं०/P.O. 118572/22 आदेश दिनांक 18/7/22 को पालना में यका श्री वास्ते शेष की लकी रिमांड दिनांक 27/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	

18/12/23

कमीलवाही उपस्थित नहीं। कमील व अन्य काही को  
का - 2 आकार दिगाई गई कोरि उपस्थित नहीं  
आया। अतः दस्ता वाही कमील की अदक पैना  
अदक हाजी कोरि लेज पर कार्रज दिमा जाया है  
पत्रावल में मल शुका होकर 12/12/23 को कमील का  
लकमील जिला प्रधिकारी के माध्यम से सुगम  
SPR

उपस्थित अधिकारी  
कमील लवरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/72/2022

बनवान

1. उर्मिला पत्नी हरदयाल जाति ब्राह्मण निवासी भोजपुरा
2. इन्द्रा पत्नी मुंशी जाति ब्राह्मण निवासी भोजपुरा  
तहसील कटूमर जिला अलवर

-----वादीयागण

बनाम

1. मंगतू पुत्र ईशर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भोजपुरा  
तहसील कटूमर जिला अलवर
2. तहसीलदार कटूमर तहसील कटूमर

-----प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवावी

उपस्थित :-श्री भवानी शंकर शर्मा एडवोकेट-वकील वादीयागण

पैरोकार सरकार- प्रतिवादीगण का ओर से

निर्णय

दिनांक 04.01.2024

वादीयागण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 571 रकवा 1.08 हे. 572 रकवा 0.51 हे. 574 रकवा 0.29 हे. किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना व खसरा नम्बर 371 रकवा 0.73 हे. 386 रकवा 0.57 हे. किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम भोजपुरा तहसील कटूमर में स्थित है। खसरा नम्बर 371, 386 किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा अर्थात 43.33 एयर वाके ग्राम भोजपुरा जो वादीयागण की व आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 574 किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा अर्थात 47 एयर वाके ग्राम सुण्डियाना प्रतिवादी सं० 1 की कब्जे का त खातेदारी की आराजी थे। वादीयागण एवं प्रतिवादी सं० 1 ने अपनी का त की सुविधा हेतु अपनी आराजीयात का आपस में तबादला कर लिया तथा वादीयागण की आराजी खसरा नम्बर 371, 386 किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा अर्थात 43.33 हे. भूमि वाके ग्राम भोजपुरा प्रतिवादी सं० 1 ने ले ली व प्रतिवादी सं० 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 574 किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा अर्थात 47 एयर भूमि वाके ग्राम सुण्डियाना को वादीयागण ने ले लिया। इस प्रकार तबादला की गयी भूमि पर वादीयागण एवं प्रतिवादी सं० 1 काबिजा हो गये तथा प्रतिवादी सं० 2 के तबादला स्वीकृति को

6  
उपखण्ड अधिकारी  
कटूमर (अलवर)

उप पंजीयक कटूमर के यहां विनिमय विलेख दिनांक 15.06.2020 को पंजीबद्ध करा लिया तथा बढी हुई 3.67 एयर भूमि को अलग से पंजीयन फीस व स्टाम्प ड्यूटी जमा करा दी। जब वादियागण ने रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल कराने हेतु प्रतिवादी सं० 2 को दिया तो प्रतिवादी सं० 2 ने रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल करने से मना कर दिया। प्रतिवादी सं० 2 ने वादियागण को यह भी धमकी दी कि यदि रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल नहीं हो रहा है तो इनको निरस्त कराओ तथा अपनी अपनी जमीनों पर वापिस काबिजा हो जाओ जबकि वादियागण एवं प्रतिवादी सं० 1 ने अपनी अपनी बदली हुई जमीनों में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाऊ बना लिया है। जबकि इस इस प्रकार से पक्षकारान के पथ्य भूमि का तबादला करने की स्वीकृति प्रतिवादी सं० 2 ने ही दी थी। रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल नहीं होने से वादियागण के सामने काफी परेशानी हो रही है। वादियागण ने दावा इस्तकरारहक पेश कर दावा मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तारिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ने हाजिर अदालत होकर वादियागण के दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकवाल जवाब पेश कर वादियागण मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने की सहमति दी है।

वादियागण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 विनिमय विलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम सुण्डियाना प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श 3 व पी 4 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादियागण ने अपने दावा के समर्थन में मौ. एक साक्ष्य में गवाह स्वयं वादिया उर्मिला PW1 के वयान पंजीबद्ध कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादियागण ने अंगनी वहस में कथन किया कि वादियागण व प्रतिवादी सं० 1 ने अपनी सहमति से अपनी अपनी आराजी का प्रतिवादी सं० 2 से तबादला नामा स्वीकृत कराकर विनिमय विलेख उप पंजीयक कटूमर के यहां विधिनुसार पंजीबद्ध कराया था। जो विनिमय विलेख रजिस्टर्ड है। मुताविक तबादला वादियागण व प्रतिवादी सं० 1 आपस में सहमति से बदली गयी आराजीयात का काबिजा रहकर का त क रहे है। वादियागण ने उक्त रजिस्टर्ड विनिमय विलेख का इन्तकाल कराने प्रतिवादी सं० 1 को दिया तो उसने मना कर दिया। प्रतिवादी सं० 1 ने वादियागण के दावा के तथ्यों को स्वीकार कर इकवाल जवाब पेश किया है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों में वादिया उर्मिला के वयानों व प्रतिवादी सं० 1 के इकवाल जवाब से वादियागण पूरी तरह आवित है। इस वजह से वादियागण मुताविक अनुतोश डिक्री किये जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों अस्तुत रजिस्टर रिकार्ड रजिस्टर्ड विनिमय विलेख वादिया उर्मिला के वयान तथा प्रतिवादी सं० 1 के इकवाल जवाब का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों से

उपखण्ड अधिकारी  
कटूमर (अनवर)

सह सावित है कि वादियागण व प्रतिवादी सं० १ ने अपनी अपनी आराजी का तबावला करने हेतु प्रतिवादी सं० २ व ३ तबावला करने की स्वीकृति प्राप्त कर ही विनियम विलेख उप फंजीयक कटूमर से तस्वीक कराया है तथा बड़े हुये रक्का की फंजीयन फीस व स्टान्य ड्यूटी भी सरकार को अदा की गयी है। विनियम विलेख रजिस्टर्ड दस्तावेज है प्रतिवादी सं० १ के ईकवालिमा जवान से मुताबिक तबावला विवादित आराजी पर फकाकारान का कब्जा सावित है। रजिस्टर्ड विनियम विलेख के आधार पर व मुताबिक अनुतीश वाव वादियागण डिप्री किये जाने में प्रतिवादी सं० १ ने अपनी सहमति दी है। अतः वाका वादियागण सावित होने से डिप्री योग्य माना जाता है।

### आदेश

अतः वाका वादियागण इस्तकारहक व हुकमइतनाई दवागी सावित होने से डिप्री किये जाकर आराजी खराश नम्बर 571 रकवा 1.08 है, 572 रकवा 0.51 है, 573 रकवा 0.29 है, कित्ता 3 रकवा 1.88 है का 1/4 हिस्सा वाके माम सुण्डियात तहशील कटूमर ज वादियागण को खातेदार काइतकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं० १ का नाम कलमजान करने के आदेश दिने जाते है। तहशीलदार कटूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड से उक्तानुसार संशोधित इन्दाज दर्ज करे। तदनुसार पत्रा डिप्री जारी हो। तबावली फीसल सुमार होकर नम्बर से लम होकर वाव तकगोल वाइलज वफतद हो।

सुनील कुमार अग्रवाल  
उपखण्ड अधिकारी  
कटूमर (अलवर)

आत दिनांक 4.1.2024 को सह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार अग्रवाल  
उपखण्ड अधिकारी  
कटूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगानियां आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/72/2022

वउनवान

1. उर्मिला पत्नी हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
2. इन्द्रा पत्नी मुंशी जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा  
तहसील कटूमर जिला अलवर।

-----डिक्रीदारान

बनाम


1. मंगतू पुत्र ईशर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भोजपुरा  
तहसील कटूमर जिला अलवर।
2. तहसीलदार कटूमर तहसील कटूमर।

-----मदयूनान

दावा इस्तकरारहक व हुकमइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादियागण इस्तकरारहक व हुकमइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री किया जाकरआराजी खसरा नम्बर 571 रकवा 1.08 हे., 572 रकवा 0.51 हे., 574 रकवा 0.29 हे. कित्ता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कटूमर का वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कटूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 4.1.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

  
सुनील कुमार झिंगानियां  
उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

# लय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर





1/15/23

तारीख रजु.....

बनाम

रचना देवी


प्रकाश वीरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>वकिल वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वादी वकिल श्री कृपादयाल राणा एड० ने उपस्थिति होकर पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जयें सम्मन रजि० डाक से तलब होकर। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 26.06.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कटूमर (अलवर)                 </p>	
26/8/23	<p>कृपादय करीकेन एप०/ए०                      दावा 9822/23                      पत्रावली दिनांक 14/8/23                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
14/8/23	<p>उपस्थित।                      साक्षिक आदेश दिनांक 14/6/23                      की पालना में पत्रावली दिनांक 2/10/23                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कटूमर (अलवर)                 </p>	
9.10.23	<p>उपस्थित।                      साक्षिक आदेश दिनांक 12/6/23                      की पालना में पत्रावली दिनांक 21/10/23                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कटूमर (अलवर)                 </p>	


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

११/१२/२४ ~~कमील वादी~~ उपस्थित  
साबिक आवेश दिनांक.....  
की पालना में पत्रा नों का संख्या.....  
दिनांक.....११/१२/२४..... को पत्र हो:

  
रपखण्ड अधिकारी  
क. क. कुमर

०१/१२/२४ कमील वादी उपस्थित नहीं आये कमील  
व उनके वादी को वार - २ आवाज दिनांक  
०१/१२/२४ को उपस्थित नहीं आया। अतः दफ्त  
वादी कमील के अफस पौरी - अफस हाजरी  
में दफ्तरी स्टेप पर शर्जित किया जाता है।  
फत्रावली में मजल शुमा है अतः १२/१२/२४ के कमील  
के वाद कमील जिला प्रजिक्ट वेब मजल  
की शुमा है

  
रपखण्ड अधिकारी  
क. क. कुमर (अलवर)

ईल नंबर

अधिवक्ता

# न्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/126/2023

तारीख रजु.....

रचना देवी

बनाम

प्रकाश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

12.06.2023

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः उमयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खंसरा नम्बर 2078, वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।चूकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।

अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 26.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

**उपखण्ड अधिकारी**  
कठूमर (अलवर) राज0

26/6/23

मुवाय बरोकेन उप-0/P.0  
राजु-012/2023  
प्रावची दिनांक 14/8/23  
को पेश हो।

14/8/23

वकील प्रार्थी उपस्थित।  
साथिक अदिल दिनांक 14/8/23  
की पालना में पत्रावली  
दिनांक 01/10/23 को पेश हो

**उपखण्ड अधिकारी**  
कठूमर (अलवर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
-------------	------------------------------------	----------------------------

उपस्थित।  
साविक आदेश दिनांक 12/6/23  
की पालना में पत्रा नी वासे 21/1/23 को पश हो।

उपस्थित।  
साविक आदेश दिनांक 12/6/23  
की पालना में पत्रा नी वासे 21/1/23 को पश हो।

उपस्थित।  
साविक आदेश दिनांक 09/2/24  
की पालना में पत्रा नी वासे 09/2/24 को पश हो।

उपस्थित।  
साविक आदेश दिनांक 09/2/24  
की पालना में पत्रा नी वासे 09/2/24 को पश हो।

1/24

करीब जमी 300-100 आये करीब  
9-300 जमी को 100-2 आवाज  
डिलाई गई जो 100 उपस्थित नहीं आये  
करीब 9-300 जमी के कदम प्रो. 100  
अपने हाथों में प्रो. 100-100 प्रो. 100  
खासिज किया जाता है प्रो. 100 के कदम  
शुभार होकर प्रो. 100 के कदम प्रो. 100  
प्राप्त के साथ प्रो. 100 प्रो. 100

उपस्थित।  
साविक आदेश दिनांक 09/2/24  
की पालना में पत्रा नी वासे 09/2/24 को पश हो।

ईल नंबर

अधिवक्ता

# यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

3/11/2022

तारीख रजू.....

हरिचंद्र बनाम नरिन्द्र कौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/22	<p>वकील प्रवीण उपाध्याय) 30 नव 2022 को 09:15 (12 प्रती) की कोर्ट में श्री राम नीलाल शर्मा को जेडा बिगा। कार्यालय रिपोर्ट की गई। कोर्ट की प्रतिक्रिया के बाद कोर्ट ने 20/5/22 को हुक्म जारी किया है।</p> <p><i>S.R.K.</i></p>	
30/5/22	<p><u>वकील प्रवीण उपाध्याय</u>            सांख्यिक आदेश दिनांक.....            कोर्ट में पत्र की जाते <u>तलक</u>            दिनांक <u>16/6/22</u> को पत्र हो</p> <p>स्वयं अधिकारी            कठूमर अलवर</p>	
16/6/22	<p>कोर्ट को पत्र है। आज नार एस. ने काम वापस कर रखा है। P.O. साहू 30/5/22 को पत्राचार दिनांक 25/8/22 को पत्र हो 5 के कार्रवाई को आरे R.B. शर्मा ने 901/01001/22 को पत्र है</p> <p><i>S.R.K.</i></p>	
25/8/2022	<p><u>वकील प्रवीण उपाध्याय</u>            सांख्यिक आदेश दिनांक <u>16/6/22</u>            कोर्ट में पत्र की जाते <u>श्री. प्रतिवादी गण तलक की</u>            दिनांक <u>30/9/2022</u> को पत्र हो <u>समप चालते है</u></p> <p>स्वयं अधिकारी            कठूमर अलवर</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
12/1/24	<p>12/1/24</p> <p>कोर्टादारा दिनांक</p> <p>की मालना ये पत्रा की जारी दिनांक 16/1/24</p> <p>के भाग में 171 पुनः 121</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
16/1/24	<p>कुलप उपस्थित। पत्नी जारी ने 310 पत्र 0929192 पत्र का रक में जो पत्र अहम-पत्नी - अहम एजरी में रखा जा रहा है उसे पुनः गण्ट पर लिये जाने का निर्देश दिया गया। एवं नौगण अहम जारी अधिकतर हाथ अपने 30 पत्र के मगाने में RRT 2006 के पत्र 2 के पत्र सीएम/1088 एवं RRT 2012 पत्र 1 के पत्र सीएम/440 पत्र लिये गये जिनमें 210 पत्र लिये जाये निम्न विरोध करते हुए अर्जेंट डाक जांचप उल्लेख किया गया निम्न लिखा गया भी जारी हाथ जारी। - पत्र पत्र का रक रखा जाने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है। दोनो अधिकतर। 171 की अहम खुरी गड्डि अहम पर गनन किया गया। पत्रावली का अयलेखन किया गया पत्र जारी का जारी। - पत्र 0919 - नकिल वाले पत्र कोट पत्रा करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया जिससे जारी पत्रा 310 पत्र को नकिल वाले में आमजन रहे हैं नग जारी का जारी। - पत्र 0929 नकिल वाले के कारण नकली का रखा किया गया है पत्रावली में मूल मुद्दा नकल - नकल के 171 को नकल करके किया गया।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	


2/193/19

तारीख रजू.....

बनाम

रामस्वरुप वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2019	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ज अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न. 276, 526, 662, 711, 703, 760, 690, वाके ग्राम कटहडा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में किसी प्रकार की रुकावट/मजाहमत पैदा न करे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 13.12.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 13.12.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p>13/19</p> <p>वकील सायल</p> <p>साविक आदेश दिनांक 21.10.19</p> <p>को पालना में पत्रावली वास्ते तलब</p> <p>दिनांक 28/2/20 को तलबी जारी करे।</p> <p>20.2.20</p> <p>वकील सायल</p> <p>साविक आदेश दिनांक 21/10/19</p> <p>को पालना में पत्रावली वास्ते तलब</p> <p>दिनांक 28/2/20</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>



अधिकारी

घायालय उपखण्ड

कटूमर जिला अलवर

संख्या नंबर

2/62/2021

तारीख रज. ....

अधिकारी का

गोविन्द सहाय वगैरा

बनाम

रामोतार वगैरा

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही पय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तारीख में जारी हुए

28.05.2021

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 1015, 1015/1609, 1162, 1163, 1164, 1164/1612, 1167, 1170, 1170/1611, 1172, 1173, 1174, वाके ग्राम बसेठ तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 10.08.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जाये। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 10.08.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

343  
29/3/22

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
कटूमर अलवर

10/8/22

मुद्राव बंदीकेन 10/8/22  
14/8/22 को पेश हो।

12/12

पत्रावली 12/12/22 केस कार्ट में पेश हुई।  
पत्रावली

वहीं होने के कारण प्रकरण का निपटारा नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 07/4/22 को न्यायालय हाजरा में पेश हो

